

दिनांक 13.12.17

पत्रावली पेश वकील वादी उप. बार-बार हिदायत देने के बाद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। अतः दावा वादी अन्तर्गत 0-9.R.5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।



(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official